न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 95/2023

प्रार्थी :–

1. भगवानाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट
2. महेन्द्र भादू उर्फ मोटाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट
   निवासी माडपुरा बरवाला हाल उमरलाई खालसा तह0 पचपदरा,
   जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गलाराम पुत्र लच्छाराम
2. बुधाराम पुत्र लच्छाराम
3. भंवराराम पुत्र लच्छाराम
4. जुंजाराम पुत्र दुधाराम
5. पूराराम पुत्र दुधाराम
6. बुधाराम पुत्र दुधाराम
7. मंगलाराम पुत्र दुधाराम
8. मंगलाराम पुत्र कुम्भाराम
9. रामाराम पुत्र कुम्भाराम
10. लूम्बाराम पुत्र दूधाराम
11. वीराराम पुत्र दूधाराम
12. हेमाराम पुत्र दूधाराम
13. सोमाराम पुत्र लच्छाराम
14. हेमाराम पुत्र लच्छाराम सभी जातियान कलबी
15. भीमाराम पुत्र वगताराम जाति प्रजापत (कुम्हार)
16. अखाराम पुत्र वेलाराम
17. चेनाराम पुत्र गणेशारम
18. जोराराम पुत्र जगमालराम
19. ताराराम पुत्र जगमालराम
20. चन्द्राराम पुत्र नरसिंहराम
21. तेजाराम पुत्र नरसिंहराम
22. ढलाराम पुत्र वगताराम सभी जातियान प्रजापत सभी
    निवासीयान पारलू
23. हडमानराम पुत्र भूराराम
24. रतनाराम पुत्र भूराराम
25. इन्द्रा पुत्री जेठाराम
26. रेखा पुत्री जेठाराम ना.बा. जरिये संरक्षक माता [illegible]
    बेवा जेठाराम मेघवाल
27. जोगाराम पुत्र बाबूराम
28. निम्बाराम पुत्र बाबूराम
29. सेलाराम पुत्र बाबूराम जाति मेघवाल निवासी उमरलाई
    खालसा तह0 पचपदरा
30. राजस्थान सरकार भूधारक जरिये तहसीलदार
    पचपदरा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री पूनमाराम चौधरी , प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 30 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 9.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा उमरलाई खालसा, पटवार हल्का उमरलाई खालसा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानाना, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 613/431 रकबा 14.5181 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगणकी भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 30 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 30 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मौजा मुमकिन मौजा उमरलाई खालसा, पटवार हल्का उमरलाई खालसा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कानाना, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 613/431 रकबा 14.5181 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 30 की भूमि [illegible] है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी [illegible] हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा उमरलाई

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:36 IST
Reason: SelfAttested

खालसा, पटवार हल्का उमरलाई खालसा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कानाना, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 613/431 रकबा 14.5181 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा उमरलाई खालसा, पटवार हल्का उमरलाई खालसा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कानाना, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 613/431 रकबा 14.5181 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 03/03/2023 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उमरलाई खालसा, पटवार हल्का उमरलाई खालसा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कानाना, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 613/431 रकबा 14.5181 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही करते समय स पुनः मौके पर आहूत कर नेखमबन्दी की जाए। विप्रार्थी संख्या 20 एव 21 रेकार्डेड खातेदार है अन्तिम ज्ञात पर नोटिस भेजा गया को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:36 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 9.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा